

प्रेस नोट
थाना मोठ, झाँसी

दिनांक – 27.02.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों के रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही प्रभावी कार्यवाही,
- आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के अभियोग में अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.02.2026 को थाना मोठ पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2026 धारा 333,74,352,351(3),107 BNS व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अभियोग में नामजद अभियुक्त बीरेन्द्र सिंह पुत्र राजेश साहू नि0 मु0 आजाद नगर बम्हरौली थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है कि थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिया थाना मोठ पर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले बीरेन्द्र सिंह पुत्र राजेश साहू नि0 मु0 आजाद नगर बम्हरौली थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा उसके साथ छेड़खानी व मारपीट तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है। सूचना पर तत्काल थाना मोठ पुलिस द्वारा 29/2026 धारा 333,74,352,351(3) बीएनएस अभियोग पंजीकृत किया गया।+

वादिया के परिजनों द्वारा थाना पर सूचना दी गयी कि वादिया ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गयी है। पुलिस द्वारा मृतका के शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया है। विवेचनाधीन उक्त अभियोग में पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण – बीरेन्द्र सिंह पुत्र राजेश साहू नि0 मु0 आजाद नगर बम्हरौली थाना मोठ जिला झाँसी उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 दिनेश चन्द्र थाना मोठ जिला झाँसी
2. का0 186 अंकित कुमार थाना मोठ जिला झाँसी
3. का0 1093 योगेन्द्र सिंह थाना मोठ जिला झाँसी